Case No.: 65 / 20 दिनेश कुमार बनाम हजारीलाल वगै.
GCMS id : 2020/00113

18/10/21

पत्रावली पेश हुई। वादी स्वयं एवं उभयपक्ष अभिभाषकगण उपस्थित। हमने वादी की ओर से पेश विड्रो प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। वादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है। वादी/प्रतिवादीगण के बीच विवादित आराजी को लेकर राजीनामा हो गया है। वादी अब, प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहकर वाद को विड्रो करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद विड्रो फरमाया जावे। As per Order 23, Rule 1(1) of the CPC, a **plaintiff may abandon his suit** or abandon a part of his claim at any time after the institution of a suit. As soon as an application is filed under this sub-rule, the withdrawal of the suit is complete and such withdrawal is not dependent on the court's order.

वादी के विड्रो प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी अभिभाषक की ओर से No Objection किये जाने से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 23 नियम 1(1) के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी बाबत वाद विड्रो स्वीकार कर वादी का वाद एज विड्रो खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फसल शुमार नाम नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। Parbhu